न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–116/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/116)

1. मंगला पुत्र उगमा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेड़ा तहसील, नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 रामदयाल
2. पूजा पुत्री स्व0 रामदयाल
3. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 रामदयाल
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2021 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 70/2021

उपस्थितः–

1. श्री गौतम टांक, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सीताराम, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.

निर्णय

दिनांकः–16.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 70/2021 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा वाद रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी मौके व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त नहीं है तथा सिवायचक आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 अधिकारी नहीं है तथा नामांतकरण संख्या 54 भू–संशोधन जमाबंदी के आधार पर दर्ज किया है जिसमें वर्किंग तथा हाल खसरान की स्थिति वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने स्पष्ट नहीं की है तथा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व दस्तावेजात कभी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पेश नहीं किए है एवं विवादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से वादीगण/रेसपोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का वाद खारिज फरमाया जावे। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा वादीगण/रेसपोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का दावा बिना कब्जे के तथा विधि विरूद्ध जताते हुए दिनांक 7.12.2021 को स्वीकार कर लिया तदुपरांत अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी उपरोक्त निर्णय होने के पश्चात हुई क्योंकि उपरोक्त विवादित खसरा नम्बर पर अपीलांट का कब्जा काश्त पिछले 50 वर्षो से निरंतर निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं वादीगण/रेसपोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का उक्त विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है तथा वाद पत्र में झूठे तथ्य अंकित कर दावा पेश किया गया है जिसमें अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 70/2021 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त चला आ रहा है तथा उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी का उक्त आराजी में हित निहित है तथा उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 7.12.2021 से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने से प्रार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी विपक्षी द्वारा अवैधानिक रूप से पारित आक्षेपित आदेश की पालना करवाए जाने तथा मौके पर आकर विवाद करने पर प्रार्थी को आक्षेपित आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया गया अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को आधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 7.12.2021 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने की कानूनी सलाह प्रदान की गई अभिभाषक की सलाह के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तथा प्रकरण संबंधी अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर प्रार्थी ने दिनांक 2.5.2022 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया जिससे बिना किसी देरी के उक्त अपील डिक्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा खातेदारी उदघोषणा बाबत था उक्त वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष मे जारी करने से पहले वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त संबंधी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजात का रिकार्ड तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब जो कि पत्रावली पर मौजूद था जिसमें स्पष्ट व्याख्या या जवाब दिया गया था कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है इस हेतु तहसीलदार, नसीराबाद के जवाब के आधार पर मौका रिपोर्ट और बयान व जिरह करके कब्जे संबंधी बिंदु वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में साबित होता तो वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए जब कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज व मौका रिपोर्ट तथा बयान व जिरह प्रतिवादी की थी जिससे वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा साबित होता हो जबकि न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2042 से 2045 में विवादित खसरान के चौसाला खसरा नम्बर 2833 मिन रकबा 10 बीघा गैर मुमकिन है तथा खसरा गिरदावरी मं बिलानाम प्रदर्शित हो रही है जब कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वजों का खसरा गिरदावरी में कही भी काश्त में नाम नहीं है मात्र गलत तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह तथा अंधेरें में रखा गया और मात्र कथनों के आधार पर कब्जा बताया गया है, जब कि राजस्व रेकार्ड तथा तहसीलदार, नसीराबाद के द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त माना ही नही है फिर भी उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने विधि विपरीत जाते हुए कब्जा संबंधी बिंदु को गलत विवेचन कर खातेदारी अधिकारी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्रदान किए हैं, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अनुसार घोषणा के लिए कब्जा होना आवश्यक तत्व माना गया है, फिर भी उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2021 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी ने तनकी संख्या 1 में यह लिखा कि चौसाला खसरा नम्बर 2463 वर्किंग खसरा नम्बर 2833 रकबा 14–18–10 में से 10–00–00 आराजी नामांतकरण दिनांक 2.2.1983 द्वारा गैर. खातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण स्वीकृत हुआ मगर इसमें पत्रावली पर तथ्य रेकार्ड में खसरा मिलान क्षेत्रफलक आधार क्या खसरा नम्बर 2833 मिन नए नम्बर बने अगर खसरा नम्बर 2833 के हाल नम्बर 2524, 2526, 2529 बने तो बाकी 10 बीघा के अलावा रकबा किस खसरान में सम्मिलित हो गया इसका कोई विवरण उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2021 में नहीं है यही ऐतराज तहसीलदार, नसीराबाद ने अपने जवाब में पेश किया गया था जिस पर कोई तनकी विचारण न्यायालय ने नहीं बनाई क्योंकि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को फायदा पहुंचाने की गरज से निर्णय पारित किया गया है। अपील में विवादित हाल नम्बरों का चौसाला खसरा नम्बर में ग्राम रामसर दर्ज कर रखा था उक्त ग्राम के नाम दुरूस्त किया जाकर भवानीखेडा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था तथा उस नाम को दुरूस्त किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो कि अनियमितता प्रकट होती है। तहसीलदार नसीराबाद ने अपने जवाब में लिखा था कि सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को नहीं दिए जा सकते है क्योंकि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने चौसाला खसरा नम्बर का रकबा बड़ा था जिसके समस्त वर्किंग खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर की स्थिति वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा स्पष्ट नहीं की तथा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त नहीं है उक्त जवाबदावे पर कोई तनकी

Scanned with CamScanner

तथा बयान व जिरह तथा दस्तावेजों पर कोई एक्जीबिट नहीं दर्शाते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2021 पारित कर दिया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 70/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आरबीजे 2020 पेज 162, आरबीजे 2022 पेज 138, आरआरटी 2011(2) 1170, आरआरडी 1989 527, आरआरडी 1992 114.

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा किए गए कथन विरोधाभारी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 2463 रकबा 14–18–10 वर्किंग खसरा नम्बर 2833 रकबा 14–18–10 में से 10–0–0 की आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र मादू भांबी के नाम नियमन की गई। उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 54 से खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार वर्किंग जमाबंदी में 10–0–0 आराजी जमाबंदी में हरजी पुत्र मादू भांबी के नाम खातेदारी दर्ज की गई। हरजी पुत्र मादू की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस प्रतिवादीगण ही है, उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10, 2526 रकबा 0.35, 2532 रकबा 0.19 व 2533 रकबा 0.57 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10 का खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादीगण की ओर से राजकीय पैरोकार ने जवाब दावा प्राप्त होने पर, दो तनकी कायम की जाकर, तनकी पर साक्ष्य ग्रहण कर विधिवत् निर्णय पारित किया है। तनकी संख्या 01 के अनुसार वादीगण के पूर्वज के नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का 10–0–0 भूमि खातेदार दर्ज थी, जिसके खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। तनकी संख्या 01 पूर्णतया साबित होने से तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है तथा इसी प्रकार तनकी संख्या 02 में भी वादीगण का कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा1.16, खसरा नम्बर 2526 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.10 कुल रकबा 1.61 है0 की आराजी पर है तथा तीनो खसरा

Scanned with CamScanner

नम्बर आपस में लगायत होने से तथा दस्तावेजी साक्ष्य होने से तनकी संख्या 02 भी वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें सभी कानूनी व विधिक बिंदुओं का ध्यान रखते हुए विधिवत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर प्रार्थी द्वारा किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त चला आ रहा है व प्रार्थी हितबद्ध व व्यथित पक्षकार है, अतः प्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषजनक प्रतीत होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार की जाती है।

13. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादीगण/रेस्पोडेंट वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी मौके व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन से पाया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है व अपीलांट को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया। तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा सरकार के विरूद्ध निर्णय होने के बावजूद अपील न करना इस बात की दुरभिसंधि को प्रकट करता है कि उसे राजकीय हितों से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 7 में ऐसे प्रकरणों में तहसीलदार राज्य सरकार को बहैसियत लैण्ड होल्डर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल डिक्री/आदेशों के विरूद्ध वह विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर साक्ष्य में चाराजोही करें अन्यथा तहसीलदार, नसीराबाद के विरूद्ध अनुशासत्मक कार्यवाही के लिए माननीय राजस्व मण्डल को पृथक रूप से लिखा जाएगा। अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाना उचित समझते है

14. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है व अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 70/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है व पत्रावली अधीनरथ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए, जवाब प्राप्त कर एवं तहसीलदार को साक्ष्य व दरतावेज पेश करने का पुनः मौका दिया जाकर, प्रकरण में पुनः तनकीयात कायम कर, तनकी पर साक्ष्य ग्रहण कर, तनकी का विरतृत निर्णय करते हुए, वाद का गुणावगुण पर पुनः निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner